

1	विभाग	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
2	योजना का नाम	जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजनान्तर्गत
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी-	प्रदेश के पावरलूम बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार हेतु परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक पावरलूम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना का क्रियान्वयन की जा रही है, योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों के पुराने एवं परम्परागत पावरलूम के स्थान पर उच्चकृत पावरलूम स्थापित कराकर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराया जाना प्रस्तावित है, योजना के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण मद में 100 प्रतिष्ठ अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, पावरलूम स्थापित करने हेतु कार्यशाला निर्माण में रू0 45000 प्रति कार्यशाला अनुदान एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, एवं उच्चकृत आधुनिक पावरलूम की स्थापना मदों में 2:1 के अनुपात में लाभ दिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें 75 प्रतिष्ठत प्रदेश सरकार तथा 25 प्रतिशत स्वयं लाभार्थियों द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान किया है। तथा जिनके पास एक वर्ष पुराना पावरलूम से सम्बन्धित पंजीकरण तथा विद्युत संयोजन हो को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया है।
4	पात्रता की अर्हता-	जिनके पास एक वर्ष पुराना पावरलूम से सम्बन्धित पंजीकरण तथा विद्युत संयोजन हो को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया है।
5	आवेदन की प्रक्रिया-	वांछित अभिलेखों सहित कार्यालय में आवेदन
6.	लिंक वेबसाईट	<a href="http://www.etanabanaup.in/">http://www.etanabanaup.in/</a>
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक आयुक्त उद्योग से सम्पर्क किया जा सकता है ।